

राजस्थान सरकार
चिकित्सा शिक्षा विभाग

क्रमांक प.16(12)चि.शि./गुप-1/2020

जयपुर, दिनांक 4.4.2020

-आदेश:-

प्रायः देखने में आया है कि मेडिकल कॉलेज के स्तर पर कोविड-19 की जाँच हेतु गठित रेपिड रेस्पॉन्स टीम द्वारा जिला स्तर पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों एवं जिला प्रशासन से समुचित समन्वय स्थापित नहीं किया जा रहा है तथा कोनटैक्ट ट्रेसिंग की पूर्ण रिपोर्ट जिला प्रशासन को समय उपलब्ध नहीं करवायी जा रही है। जिसकी वजह से प्रभावी रोग नियंत्रण कार्य में बाधा उत्पन्न हो रही है।

अतः समस्त प्राधानाचार्य एवं नियंत्रक मेडिकल कॉलेजों को निर्देशित किया जाता है कि वे यह सुनिश्चित करें कि उनके द्वारा भेजी गयी टीम जाँच एवं अन्वेषण कार्य पूर्ण करने के पश्चात् रिपोर्ट से जिला प्रशासन एवं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को अवगत करावे एवं साथ ही यह भी सुनिश्चित करें कि बिना जिला कलेक्टर की पूर्व अनुमति के जिला मुख्यालय नहीं छोड़ें।


(वैभव मालरिया)
शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, चिकित्सा शिक्षा।
2. अति. मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग।
3. प्राधानाचार्य एवं नियंत्रक मेडिकल कॉलेज, (समस्त) राजस्थान।
4. आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा विभाग।
5. संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग।
6. रक्षित पत्रावली।


शासन सचिव